राजस्थान सरकार
कार्यालय परियोजना निदेशक,राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,
(आरजीएचएस)
वित्त–भवन, डी–ब्लॉक, द्वितीय तल, जनपथ, ज्योतिनगर, जयपुर
फोनः–2740219, 2740252, 2740292(फैक्स)
email: add.dir.rghs@rajasthan.gov.in
website: www.rghs.rajasthan.gov.in

क्रमांकः– एफ.1(258)मेडि. / SAB LETTER / 20–21/883 दिनांकः– 01/09/2021

समस्त प्राधिकृत अधिकारी
स्वायत्तशासी संस्थान, राजस्थान सरकार।

विषयः–स्वायत्तशासी संस्थाओं हेतु राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (RGHS) के संबंध में।

महोदय,

निर्देशानुसार उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान सरकार की वर्ष 2021–22 बजट घोषणा 244 पर निम्न घोषणा की गई हैः–244 "Central Government Health Scheme (CGHS)के अन्तर्गत मिलने वाली चिकित्सा सुविधाओं के अनुरूप माननीय विधायकगण, पूर्व विधायकगण एवं राज्य के सरकारी, अर्द्ध–सरकारी निकाय,निगम,बोर्ड आदि के कर्मचारियों–अधिकारियों तथा पेंशनरों को कैशलेस एवं बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से CGHS की तर्ज पर RGHS लागू करने की घोषणा करता हूँ"।

उपरोक्त वर्णित बजट घोषणा के क्रियान्वयन के क्रम में राज्य सरकार के निर्देशानुसार इस योजना का संचालन राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा किया जावेगा। योजनान्तर्गत स्वायत्तशाषी संस्थाओं द्वारा विकल्प लेने पर स्वायत्तशाषी संस्थाओं के नियुक्ताओं को सीजीएचएस की तर्ज पर कैशलेस इनडोर, डे–केयर चिकित्सा एवं आउटडोर की सुविधा प्रदान की जावेगी। उक्त योजना के अन्तर्गत 5.00 लाख प्रति वर्ष प्रति परिवार चिकित्सा एवं गंभीर बीमारियों के ईलाज के पेटें अतिरिक्त 5.00 लाख का लाभ दिया जावेगा। RGHS के लिए अंशदान रूपये 6100/– प्रति कार्मिक प्रति वर्ष फैमिली फ्लोटर बेसिस पर देय होगा एवं यह अंशदान एक मुश्त (एक वर्ष के लिए) देना होगा। सेवानिवृत्त कार्मिको के लिए एकमुश्त राशि रूपये 61000/– जमा कराने के पश्चात् योजना का लाभ जीवनपर्यन्त मिलता रहेगा। इसके अतिरिक्त सम्बन्धित संस्थान द्वारा यह निर्णय लिया जाएगा कि उसके समस्त कार्मिकों को RGHS में शामिल होना होगा। स्वायत्तशाषी संस्थाए RGHS हेतु सहमती उपरान्त बजट मद 8342–00–120–(69) में उक्त प्रीमियम राशि जमा करवाने का श्रम करें।

उक्त योजना हेतु आपकी संस्था द्वारा कार्मिकों को वेतन का भुगतान किस IT PLATFORM (Pri Paymanager/RAJERP) के आधार पर दिया जा रहा है, अवगत करावें। निकाय / बोर्ड / निगम / विश्वविद्यालय के कार्यरत कार्मिकों / अधिकारियों एवं पेंशनर्स को SSO ID(Citizen) एवं जनाधार बनावाने के निर्देश प्रदान करावें। जिन राजकीय उपक्रमों / स्वायत्तशासी संस्थाओं / निकायों / बोर्डो का वेतन PRI PAYMANAGER से आहरित होता है एवं जिनकी NIC-UID बनी हुई है, उन राजकीय उपक्रमों / स्वायत्तशासी संस्थाओं / निकायों / बोर्डो को एॅम्प्लोयी आई–डी बनवाने की आवश्यकता नही है। वे संस्थाऐं / कार्मिक पंजीकरण RGHS पोर्टल पर NIC-UID के माध्यम से कर सकते है। जिन राजकीय उपक्रमों / स्वायत्तशासी संस्थाओं / निकायों / बोर्डो का वेतन PRI PAYMANAGER एवं RAJERP से आहरित नही होता है, उन राजकीय उपक्रमों / स्वायत्तशासी संस्थाओं / निकायों / बोर्डो को RAJERP पर कार्मिकों की निम्नांकित सूचना अपलोड करवाने का श्रम करें।

S.NO.	SSO ID*	NAME*	UNIQUE ID	PPO	D.O.B.*	D.O.J.*	D.O.R.*	DESIGNATION	BASIC PAY*	SERVICE STATUS*	MOBILE*

उक्त सूचना RAJERP पर अपलोड करवाने हेतु umeshcj.doit@rajasthan.gov.in, umesh.josh@gmail.com पर भिजवाये एवं श्रीमान उमेश जी जोशी (मोबाईल नम्बर– 9694418180) से सम्पर्क करें। प्रत्येक राजकीय उपक्रम / स्वायत्तशासी संस्था / निकाय / बोर्ड कर्मचारियों के मास्टर डेटा CREAT/UPDATE/MANAGE करने हेतु एक SSO ID (GOVT.) की DETAIL भी भिजवाने का श्रम करें। **RGHS** में पंजीकरण हेतु राजकीय उपक्रमों / स्वायत्तशासी संस्थाओं / निकायों / बोर्डो को एॅम्प्लोयी आई–डी बनवाने की आवश्यकता नहीं है बल्कि उपरोक्त वांछित सूचना ही **RGHS** में पंजीकरण हेतु पर्याप्त है अतः यथाशीघ्र RAJERP पर आपके कार्मिकों का डाटा अपलोड़ करवाने का श्रम करें, जिससे आपके निकाय के कार्मिकों का यथासमय **RGHS** में पंजीकरण किया जाकर, योजना का लाभ दिया जा सके। ई–ग्रास चालान के माध्यम से प्रीमियम जमा कराने के पश्चात् ई–ग्रास चालान की प्रति एवं कार्मिकों का विवरण निम्नांकित प्रारूप एक्सेल शीट (सोफ्ट कॉपी एवं हार्ड कापी) में इस कार्यालय को भिजवाने का श्रम करें।

S.N.	SSO ID*	NAME*	RGHS CARD NO.*	UNIQUE ID	PPO	D.O.B.*	D.O.J.*	D.O.R.*	DESIGNATION	BASIC PAY*	SERVICE STATUS (SERVING/PENSIONER)*	MOB.*

भवदीय

(शिप्रा विक्रम)
परियोजना निदेशक (RGHS)
वित्त भवन, जयपुर